राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3210/2025

नरेन्द्र कुमार जैन

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, स्थानीय स्वशासन विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय राजस्थान, जयपुर।
3. उपनिदेशक, क्षेत्रीय स्थानीय स्वशासन सरकार, अजमेर।
4. आयुक्त नगर परिषद, टोंक।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 02.07.2025
आदेश की दिनांक : 08.07.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को नगर परिषद टोंक में आदेश दिनांक 28.7.2005 द्वारा बागवान के पद पर अनुकंपापूर्वक नियुक्त किया गया था तथा आदेश दिनांक 23.7.2008 द्वारा 29.7.2005 से स्थायी किया गया था। (अनुलग्नक–1 व 2) बागवान का पद शासनादेश दिनांक 29.5.2019 के अनुसार चतुर्थ श्रेणी संवर्ग का पद है। (अनुलग्नक–3) नगर परिषद टोंक ने अपने आदेश दिनांक 10.6.2019 द्वारा श्रम/कार्य (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) से जूनियर सहायक तक विभिन्न संवर्ग में पदोन्नति के लिए मामले अग्रेषित किए। (अनुलग्नक–4) अपीलार्थी ने पदोन्नति के लिए 28.9.2022 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और उसके मामले को नगर परिषद द्वारा वर्ष 2024–25 में सहायक के रिक्त पद के विरुद्ध पदोन्नति के लिए अनुशंसित किया गया था। (अनुलग्नक–6) प्रत्यर्थी संख्या 3 ने अपने दिनांक 1.5.2025 के आदेश द्वारा अपीलार्थी की पदोन्नति को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि उसकी पदोन्नति केवल उद्यान संवर्ग में ही की जा सकती है। (अनुलग्नक–7) पूर्व में भी नगर परिषद टोंक ने अपने आदेश द्वारा बजट वर्ष

2016–17 में पदोन्नति देने हेतु मार्गदर्शन मांगा था, क्योंकि कनिष्ठ सहायक का पद स्वीकृत है तथा रिक्त है, तथा बागवान का पद चतुर्थ श्रेणी संवर्ग का पद है। (अनुलग्नक–8)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को जूनियर असिस्टेंट के पद पर पदोन्नत किया जावे तथा बागवान के पद को पदोन्नति देय तिथि से चतुर्थ श्रेणी कैडर का पद माना जावे एवं सभी परिणामी लाभों के साथ पदोन्नति दी जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपीले, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य